संख्या- 35 /2022/I/ 225230/2022/003-71-4002-002-3-2021

प्रेषक

अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन

सेवा में

निदेशक
राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान
ग्रेटर नोएडा

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषय:- राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के गैर वेतन मद की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा के पत्र संख्या-रा0अ0सं0/वित्त/2022-23/ 241, दिनांक 19.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 03-शिक्षा 0371 चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक 2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान 105-एलोपैथी 03- शिक्षा 0371 चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना के मानक मद 20- सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 300000000/- (तीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष (चतुर्थ किश्त) 50000000/- पांच करोड़ मात्र की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1.स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जायेगा।

2. धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।

3.स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना संभव नहीं होगा।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

4.धनराशि को कोषागार से संस्थान के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
5.उपर्युक्तानुसार निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति के आवंटन/व्यय के संबंध में वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के सापेक्ष सुसंगत शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
2.इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50000000/- रुपये पांच करोड़ मात्र को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050371 चिकित्सा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा की स्थापना मानक मद- 20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश एफ.आई.एन.आर.एम.एस. सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-302/दस-2022-23 दिनांक 13.10.2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या-35 /2022/I/ 225230/2022/003-71-4002-002-3-2021 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2.महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 प्रयागराज
5.कोषाधिकारी ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।
6.महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण लखनऊ।
7.वित्त अधिकारी राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा।
8.वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. नोडल अधिकारी संयुक्त सचिव चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**